संख्या-15/2018/1532 /46-2-18-102(14)/2018

प्रेषक,

नरेश बहादुर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 13 सितम्बर, 2018

विषय- प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों की कार्यक्षमता में सुधार एवं आधुनिकीकरण हेतु प्राविधानित धनराशि रू.10000.00 लाख में से प्रथम किश्त के रूप में रू.2500.00 लाख अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. के पत्र संख्या-1700/यू.पी.एफ./प्र.प्र.(लेखा)/60-बजट-2018-19 दिनांक 23.07.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों की कार्यक्षमता में सुधार एवं आधुनिकीकरण हेतु प्राविधानित धनराशि रू.10000.00 लाख (रूपया एक सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष रू.2500.00 लाख (रूपया पचीस करोड़ मात्र) को ऋण के रूप में निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा आपको अधिकृत करते हैं कि कृपया वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-1 के पैरा-209 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार इस धनराशि को राजकोष से आहरित कर प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों की कार्यक्षमता में सुधार एवं आधुनिकीकरण हेतु तत्काल उपलब्ध कराएँ:-

- ऋण की वापसी ब्याज सहित 10 वर्ष की अवधि में की जाएगी।
- ब्याज की दर 14 प्रतिशत वार्षिक होगी तथा नियमित भुगतान किए जाने की दशा में 2.50 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। इस प्रकार नियमित भुगतान की दशा में ब्याज की प्रभावी दर 11.50 प्रतिशत (साढे ग्यारह प्रतिशत) होगी।
- मूलधन के प्रतिदान की पहली किश्त शासनादेश निर्गत होने की तिथि से ठीक एक वर्ष बाद देय हो जाएगी। मूलधन का प्रतिदान 10 बराबर किश्तों में किया जाएगा।
- ब्याज की पहली किश्त शासनादेश निर्गत होने की तिथि से ठीक एक वर्ष बाद देय हो जाएगी। ब्याज का ऑगणन शासनादेश जारी होने की तिथि से किया जाएगा। मूलधन का प्रतिदान होने के साथ-साथ मूलधन के घटते शेष पर ब्याज का ऑगणन सम्पूर्ण वर्ष के लिए किया जाएगा।
- उक्त् धनराशि उसी प्रयोजन के लिए व्यय की जाएगी, जिस हेतु स्वीकृत की गई है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. ऋण के आहरण की सूचना उप महालेखाकार (राजकोष) कार्यालय महालेखाकार (लेखा) प्रथम, उ.प्र. इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि, लेखा शीर्षक सूचित करते हुए भेजेगें।

3- संघ द्वारा ऋण की किश्तों का भुगतान किया जाए या उनके द्वारा ब्याज जमा किया जाये, महालेखाकार कार्यालय को सूचना निम्न प्रकार से अवश्य भेजें:-

(1) कोषागार का नाम-
(2) चालान संख्या तथा दिनांक-
(3) जमा धनराशि किश्त ब्याज
(4) लेखाशीर्षक जिसके अर्न्तगत जमा किया गया किश्त ब्याज
(5) शासनादेश संख्या और एस.एल.आर. का सन्दर्भ
(6) पिछले जमा का सन्दर्भ

4- चीनी आयुक्त आहरण का प्रत्येक वर्ष के लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य कराएँ।

5- भविष्य में शासन द्वारा ऋण तभी स्वीकृत किया जायेगा जब यह सुनिश्चित हो जाये कि संघ ने इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से करा लिया है, ताकि प्रत्येक अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहें और ऋणी संस्था महालेखाकार कार्यालय से इस आशय का प्रमाण-पत्र शासन को अवश्य उपलब्ध करा देंगें।

6- इस शासनादेश में उल्लिखित धनराशि के आहरण वितरण तथा उपयोग की पूर्ण सूचना बाउचर तथा आहरण की तिथि सहित शासन को शीघ्र भेजी जाएगी। प्रधान प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी अनिवार्य रूप से शासन/ महालेखाकार को प्रेषित किया जायेगा।

7- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियन्त्रक/ मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।

8- प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों की कार्यक्षमता में सुधार एवं आधुनिकीकरण हेतु व्यय की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. द्वारा शासन को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा।

9- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-24 के लेखाशीर्षक-"6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज-04-चीनी-101-सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज-18-सहकारी चीनी मिलों की कार्यक्षमता में सुधार एवं आधुनिकीकरण हेतु कर्ज-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जाएगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-640/दस-2018 दिनांक 07 सितम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-15/2018/1532(1)/46-2-2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ।
4- वित्त (व्यय) नियन्त्रण अनुभाग-6/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
5- चीनी उद्योग अनुभाग-1/3
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।